रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 2010/आश्विन 28, 1932
No. 263] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2010/ASVINA 28, 1932

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2010

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2010

(2010 का सं. 1)

सं. एल-3 (2)/विनि-सा. (संशो.)/2009-10/सी सी आई.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में,—

(1) विनियम 18 के उप-नियम (1) में,—

(क) "निदेशों की संसूचना" शब्दों के पश्चात् "सात दिन के भीतर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) "और निदेशों में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(2) विनियम 20 के उप-विनियम (2) में,—

(i) (क) "उचित हो," शब्दों के स्थान पर, "आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जो समान्यत: आयोग के निदेशों के प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन से अधिक नहीं होगा," शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "सुसंगत आंकड़े एकत्रित करने, बयानों को लेखबद्ध करने, साक्षियों की प्रति परीक्षा के लिए अवसर प्रदान करने और किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में अन्य आवश्यक विश्लेषण करने के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (3) में,—

(क) "आवेदन किए जाने पर," शब्दों के पश्चात् "पर्याप्त कारण दर्शित करते हुए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) "समय को" शब्दों के पश्चात् "ऐसी अवधि के लिए जो युक्तियुक्त समझी जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-विनियम (6) में, "निर्देश में विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे समय के भीतर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए किन्तु जो समान्यत: पैंतालीस दिन से अपश्चात् होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(3) विनियम 21 में,—

(i) उप-विनियम (1) में "उक्त रिपोर्ट को" शब्दों के पश्चात् सात दिन के भीतर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-विनियम (2) में,—

(क) "सचिव" शब्द के पश्चात्, "सात दिन के भीतर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) "संबंधित पक्षकारों से" शब्दों के पश्चात् "पंद्रह दिन के भीतर फाईल किए जाने वाले" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-विनियम (4) में, "सचिव" शब्द के पश्चात्, "सात दिन के भीतर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iv)) उप-विनियम (6) में, "सचिव उन पर विचार करने के लिए आयोग की बैठक तय करेगा" शब्दों के स्थान पर, "सचिव, सात दिन के भीतर अध्यक्ष के अनुमोदन से उन पर विचार करने के लिए आयोग की बैठक तय करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(4) विनियम 31 के उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) उस दशा में जहां अधिनियम की धारा 33 के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है, वहां आयोग द्वारा यथाशक्य रूप से, अंतरिम आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।"।

एस. एल. बंकर, सचिव

[विज्ञापन III/4/187-एम/10/असा.]

टिप्पण : भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 22 मई, 2009 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 20 अगस्त, 2009 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एल-3(2)/विनि-सा.(संशो.)/2009-10/सीसीआई द्वारा संशोधित किए गए थे।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2010

The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2010

(No. 1 of 2010)

No. L-3(2)/Regln-Gen.(Amdt)/2009-10/CCI.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009,—

(1) in regulation 18, in sub-regulation (1),—

(a) after the words "the directions of the Commission", the words "within seven days," shall be inserted;

(b) the words "and furnish a report to the Commission on or before the date specified therein" shall be omitted;

(2) in regulation 20, in sub-regulation (2),—

(i)(a) for the words "as is reasonable", the words as may be specified by the Commission which ordinarily shall not exceed sixty days from the date of receipt of the directions of the Commission" shall be substituted;

(b) the words "to collect relevant data, record statements, afford opportunity for cross examination of witnesses and to carry out other necessary analysis in the circumstances of the particular case" shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (3),—

(a) after the words "Director General", the words "giving sufficient reasons," shall be inserted;

(b) after the words "extend the time for submission of the report", the words "by such period as it may consider reasonable" shall be inserted;

(iii) in sub-regulation (6), for the words "a reasonable time to be specified in its direction", the words "such time as may be specified by the Commission but ordinarily not later than forty-five days" shall be substituted;

(3) in regulation 21,—

(i) in sub-regulation (1), after the words "before the Commission", the words "within seven days," shall be inserted;

(ii) in sub-regulation (2),—

(a) after the words "the Secretary shall", the words ", within seven days," shall be inserted;

(b) after the words "inviting objections or suggestions", the words ", to be filed within fifteen days," shall be inserted;

(iii) in sub-regulation (4), after the words "the Secretary shall", the words ", within seven days," shall be inserted;

(iv) in sub-regulation (6), for the words "fix the meeting of the Commission for the consideration thereof", the words ", with the approval of the Chairperson, fix the meeting of the Commission within seven days for consideration thereof" shall be substituted.

(4) in regulation 31, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(3) Where in a case an interim order under Section 33 of the Act has been passed, a final order, as far as possible, shall be passed by the Commission, within ninety days from the date of interim order".

S. L. BUNKER, Secy.

[ADVT. III/4/187-M/10/Exty.]

Note : The Competition Commission of India (General) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III—Section 4, dated 22nd May, 2009 and subsequently amended by notification No. L-3(2)/Regln-Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III—Section 4, dated August 20, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.